न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 55/2011(जी.सी.एम.एस. 2011/00028)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सुरजीत कौर पत्नी अच्छर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 1/1 सुखदेव सिंह पुत्र अच्छर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 1/2 मान सिंह पुत्र अच्छर सिंह जाति जटसिख निवासी 5 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर।		1. निशान सिंह पुत्र बघेल सिंह जाति जटसिख निवासी 10 डब्ल्यू तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजूः– 21.06.2011

उपस्थितः1.श्री पलविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

2.श्री युधिष्ठर सिंह सैनी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

––निर्णय–– दिनांकः 19.10.2023

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम 5 डब्ल्यू के खाता संख्या 83/2 के मुरब्बा नम्बर 10, 11, 24, 25, 33, 39, 40, 52/4, 52/5, 52/38, 52/44 की 22.618 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में बलविन्द्र सिंह का 1/6 हिस्सा व लखविन्द्र कौर के नाम 1/6 हिस्सा के खातेदार मालिक है। बलविन्द्र सिंह व लखविन्द्र कौर ने अपनी खातेदारी भूमि में से 0.405 हैक्टेयर भूमि का बेचान दिनांक 03.06.2011 को बैयनामा वादी के हक में निष्पादित करवा कर पंजीबद्ध करवा दिया। वादिया अपने हक में बैयनामा से 0.405 हैक्टेयर भूमि की जरिए पंजीकृत बैयनामा खरीददार मालिक हो चुकी है। उक्त भूमि का अमलदरामद राजस्व रिकॉर्ड में वादिया के हक में हो चुका है। बलविन्द्र सिंह व लखविन्द्र कौर ने बेचान करके चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता कब्जा आराजी वादिया को दे दिया। वर्तमान में वादिया का विवादित भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा काश्त है। प्रतिवादी संख्या 1 वादिया की क्रयशुदा एंव कब्जाशुदा भूमि में जबरन बलपूर्वक घुसने का प्रयास कर रहा है। वादिया औरतजात है, कमजोर तबके की परिभाषा में आती है। प्रतिवादी ने दिनांक 07.06.2011 को अपने साथ 40-50 व्यक्ति लेकर विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा करना चाहा तो वादिया एव उसके परिवार ने प्रतिवादी को खदेड दिया लेकिन प्रतिवादी एलानिया धमकिया दे रहा है कि वादिया की क्रयशुदा भूमि पर कब्जा करके रहेगा। अगर प्रतिवादी ने जबरन करने की कोशिश की तो मौका पर खून खराबा हो सकता है। शांति भंग होने का पूरा-पूरा अंदेशा बना हुआ है। वादिया ने दिनांक 07.06.2011 को पंचायत के रूप में मौतविरान को साथ लेकर समझाने का प्रयास किया तो प्रतिवादी नहीं मान रहा है एंव जबरन काबिज होने पर उतारू है। यही वाद कारण है। वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार, पूर्ण कोर्ट फीस अन्दर मियाद है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री सादर फरमाया जावे :- कि चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता वादिया की क्रयशुदा एंव कब्जाशुदा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने एंव करवाने से बाज व ममनू रहे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री युधिष्ठर सिंह सैनी उपस्थित आए व जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा के अनुसार यह कथन गलत हैं कि बलविन्द्र सिंह व लखविन्द्र कौर ने बेचान करके चक 5 डबल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता कब्जा आराजी वादिया को दे दिया हो। सही तथ्य इस प्रकार से है कि उक्त आरजी प्रतिवादी संख्या 1 के भाई निहाल सिंह पुत्र बघेल सिंह ने जरिए ईकरारनामा दिनांक 03.08.2007 से खरीद की हुई है और खरीद की दिनांक से उक्त

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

आराजी पर प्रतिवादी के भाई निहाल सिंह का कब्जा लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है और उक्त रकबा की पानी की बारी की पर्ची भी मुझ प्रतिवादी के भाई निहाल सिंह के नाम से बंधी हुई है। उक्त आराजी से मुझ प्रतिवादी का कोई लेना-देना नहीं है। वादिया ने मुझ प्रतिवादी के भाई निहाल सिंह को पक्षकार नहीं बनाया है। जिसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है। वादिया ने उक्त दावा गलत आधारो पर मुझ प्रतिवादी को तंग व परेशान करने के लिए पेश किया है। इसलिए दावा काबिले निरस्ती के है। प्रतिवादी के भाई निहाल सिंह ने उक्त ईकरारनामा दिनांक 03.08.2007 का पंजीकृत बैयनामा करवाये जाने बाबत् एक विर्निदिष्ट अनुपालना अनुबन्ध का दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र श्रीमान् अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, श्रीकरणपुर के न्यायालय में पेश किया हुआ है और उक्त रकबा की यथास्थिति बनाये रखने बाबत् स्थगन आदेश भी प्राप्त किये हुये है। अतः जवाबदावा पेश कर अर्ज है कि वादिया का वाद मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। जवाब स्टेट पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।

3. हमने प्रकरण मे निम्नलिखित विवाद्यक विरचित किये:-

(A)आया कि क्या वादिया चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता क्रय शुदा एंव कब्जाशुदा भूमि में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है? -जिम्मे वादी-

(B)आया कि प्रतिवादी के भाई निहाल सिंह ने चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 13, 14, 15 कुल 3 बीघा नहरी कृषि भूमि में से रास्ता व खाला काटकर 2 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 03.08.2007 से खरीद की हुई है? -जिम्मे प्रतिवादी-

(C)आया कि निहाल सिंह ने इकरारनामा दिनांक 03.08.2007 का पंजीकृत बैयनामा करवाये जाने बाबत एक विर्निष्ट अनुपालना अनुबन्ध का दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर में पेश किया हुआ है। जिसमें स्थगन ओदश है? -जिम्मे प्रतिवादी-

(D)आया कि वादिया के द्वारा निहाल सिंह को दावा में पक्षकार नहीं बनाया जिसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है? -जिम्मे प्रतिवादी-

(E)अनुतोष।

4. वकील वादी ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य प्रदर्श-1 चक 5 डब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 83/2 की प्रति, प्रदर्श-2 असल बैयनामा की प्रति, प्रदर्श-2ए असल बैयनामा की छायाप्रति, स्वंय वादिया सुरजीत कौर का साक्ष्य शपथपत्र, पेश किया। जो सामिल पत्रावली है। जिरह वकील प्रतिवादी के द्वारा की गई। ब्यान सामिल मिसल किए गए। प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा दिनांक 03.08.2007 की प्रमाणित को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए गए।

5. वकील प्रतिवादी ने अपने जवाबदावा के समर्थन में स्वंय प्रतिवादी निशान सिंह का शपथ पत्र पेश किया। जो सामिल मिसल है। जिरह हेतु गवाह निशान सिंह उपस्थित नहीं होने पर साक्ष्यप्रतिवादी बन्द की गई। वादी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया। जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर वादिया के वारिसान को रिकॉर्ड पर लिए जाने के आदेश दिए गए।

6. हमने उभयपक्षकारन की बहस सुनी तथा उस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली-भांति अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। बहस में वादिया अधिवक्ता के द्वारा अर्ज किया कि चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। दौराने बहस प्रतिवादी अधिवक्ता के द्वारा जाहिर किया कि वादगत भूमि के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो मुझ प्रतिवादी को कोई एतराज नहीं है। हम प्रकरण का

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

तनकी वार पृथक-पृथक विवेचन करते हुए निर्णय करना आवश्यक एंव उचित समझते है जो निम्नानुसार है:-

तनकी संख्या 1 : आया कि क्या वादिया चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता क्रय शुदा एंव कब्जाशुदा भूमि में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादी की थी। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि वादी के चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता के संबध में स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने बाबत निवेदन किया है। वादिया सुरजीत कौर की मृत्यू के पश्चात उसके वारिसान वादी संख्या 1/1 सुखदेव सिंह व वादी संख्या 1/2 मान सिंह के नाम चक 5 डब्ल्यू के खाता संख्या 87/85 के नाम 0.405 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। प्रदर्श-2ए असल बैयनामा दिनांक 03.06.2011 की छायाप्रति में बलविन्द्र सिंह, लखविन्द्र कौर के द्वारा अपना हिस्सा वादिया सुरजीत कौर पत्नी अच्छर सिंह को चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 10, 11, 24, 25, 33, 39, 40, 52/4, 52/5, 52/38, 52/44 की 22.618 हैक्टेयर नहरी मय गैरमुमकिन खाला भूमि में से 0.405 हैक्टेयर भूमि का बेचान किया गया है। लिहाजा वादीगण 0.405 हैक्टेयर भूमि के रिकॉर्डड खातेदार है। जिनके कब्जा काश्त में प्रतिवादी द्वारा दखलअंदाजी किया जाना न्यायसंगत नहीं है। लिहाजा वादीगण चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता की कब्जाशुदा भूमि के संबध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः यह तनकी बहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 : आया कि प्रतिवादी के भाई निहाल सिंह ने चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 13, 14, 15 कुल 3 बीघा नहरी कृषि भूमि में से रास्ता व खाला काटकर 2 बीघा भूमि जरिये इकरारनामा दिनांक 03.08.2007 से खरीद की हुई है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि निहाल सिंह के द्वारा चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 13, 14, 15 कुल 3 बीघा नहरी कृषि भूमि में से रास्ता व खाला काटकर 2 बीघा भूमि का इकरारनामा दिनांक 03.08.2007 ,बलविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह के साथ किया हुआ है। जिसके संबध में अनवान प्रकरण निहाल सिंह बनाम बलविन्द्र सिंह न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एंव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रीकरणपुर में विचाराधीन है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 : आया कि निहाल सिंह ने इकरारनामा दिनांक 03.08.2007 का पंजीकृत बैयनामा करवाये जाने बाबत एक विर्निष्ट अनुपालना अनुबन्ध का दावा मय स्थगन प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर में पेश किया हुआ है। जिसमें स्थगन ओदश है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से स्पष्ट है कि न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश श्रीकरणपुर में जैरकार प्रकरण संख्या 38/2011 अनवान निहाल सिंह बनाम बलविन्द्र सिंह की आदेशिका दिनांक 26.08.2011 के अनुसार स्थगन आदेश है। अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

तनकी संख्या 4 :आया कि वादिया के द्वारा निहाल सिंह को दावा में पक्षकार नहीं बनाया जिसके अभाव में दावा चलने योग्य नहीं है?

उक्त विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी प्रतिवादी की थी। वादिया के द्वारा वादपत्र के अनुतोष में अर्ज किया है कि चक 5 डब्ल्यू के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता वादिया की क्रयशुदा एंव कब्जाशुदा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार से दखलअंदाजी करने एंव करवाने से बाज व ममनू रहे। स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष सहखातेदार के अलावा अन्य के विरूद्व भी चाहा जा सकता है। निहाल सिंह को दावा में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक नहीं था। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

5. अनुतोष।

पूर्व निर्णीत तनकी संख्या 1 व 4 बहक वादीगण व तनकी संख्या 2 व 3 बहक प्रतिवादी संख्या 1 निर्णीत की जा चुकी है। अतः वादीगण को अनुतोष प्रदान करना विधिसंगत समझते है। लिहाजा यह तनकी इस कदर निर्णीत की जाती है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 83/2 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता में वादिया की कब्जाशुदा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने व करवाने से बाज व ममनू रहे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

निर्णय आज दिनांक 19.10.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
सुरजीत कौर बनाम निशान सिंह आदि
धारा अन्तर्गत 88, 188 आरटीए मुकदमा नम्बर 55/2011
निर्णय दिनांक :- 19.10.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 5 डब्ल्यू, पटवार हल्का 10 डब्ल्यू, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2064 ता 67 के खाता संख्या 83/2 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 14 के 12 बिस्वा, किला नम्बर 15 सालम मय रास्ता में वादिया की कब्जाशुदा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलअंदाजी करने व करवाने से बाज व ममनू रहे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 19.10.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	04	00	योग	04	00

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर
दिनांक: 19.10.2023

क्रमांक: रीडर/ 2023/529
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)